

हेमाराम (कार्यालय) उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरु)

प्रार्थना पत्र संख्या:- 33/2016


पीठासीन अधिकारी:-श्री दीनदयाल बाकोलिया आर.ए.एस.

1. हेमाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी ग्राम चाड़वास तह0 बीदासर जिला चूरु राजस्थान

.....प्रार्थी

बनाम

1. समान कंवर पत्नि स्व0 नथूराम जाति दरोगा निवासीनी ग्रम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
2. नवरतनसिंह पुत्र स्व0 नथूराम जाति दरोगा निवासी ग्रम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
3. कमल सिंह पुत्र स्व0 नथूराम जाति दरोगा निवासी ग्रम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
4. भंवरी कंवर पुत्री स्व0 नथूराम जाति दरोगा निवासी ग्रम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
5. सायर कंवर पुत्री स्व0 नथूराम जाति दरोगा निवासी ग्रम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
6. मन्जू कंवर पुत्री स्व0 नथूराम जाति दरोगा निवासी ग्रम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
7. किरण धर्म पत्नि स्व0 हरिराम जाति दरोगा निवासीनी ग्रम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
8. मेवा पुत्री स्व0 हरिराम जाति दरोगा निवासीनी ग्रम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
9. कैलाश सिंह पुत्र स्व0 हरिराम जाति दरोगा निवासीनी ग्रम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
10. नरपतसिंह पुत्र स्व0 हरिराम जाति दरोगा निवासीनी ग्रम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
11. रतन पुत्री स्व0 हरिराम जाति दरोगा निवासीनी ग्रम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
12. उम्मदेसिंह पुत्र स्व0 हरिराम जाति दरोगा निवासीनी ग्रम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
13. मनोहर सिंह पुत्र स्व0 हरिराम जाति दरोगा निवासीनी ग्रम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान

  
उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर (चूरु)





32. मन्जू कंवर पुत्री किशोरसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
33. सुमन कंवर पुत्री किशोरसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
34. गोविन्द राम पुत्र स्व0 पाबुदान जाति दरोगा निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
35. भीखाराम पुत्र पुत्र स्व0 पाबुदान जाति दरोगा निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
36. पुनी देवी पत्नि अमराराम जाति जाट निवासिनी चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
37. तहसीलदार तहसील कार्यालय बीदासर जिला चूरु राजस्थान

.....अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी कराने अन्तर्गत  
धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम**

उपस्थित:-

1. श्री रघुवीर भांमू एडवोकेट जरिये प्रार्थी।

**निर्णय**

दिनांक:- 23.04.2018



प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 109 रकबा 12 बीघा 15 बीस्वा रोही ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर में स्थित है। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 141 के पश्चिमी तरफ चिपता हुआ है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 109 के रास्ता छोड़कर पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 198 की कृषि भूमि है, जिसके अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 35 खातेदार व हिस्सेदार हैं। खसरा नम्बर 198 के खातेदार सवाई सिंह पुत्र बसन्ता राम उर्फ बसन्तसिंह व किशोर पुत्र पाबूदान फौत हो चुके हैं जिनके वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 14 ता 33 है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 35 ने खसरा नम्बर 198 के पश्चिमी तरफ के कटाणी रास्ते खसरा नम्बर 141 पर व रास्ते से आथूणी तरफ की खसरा नम्बर 109 की कृषि भूमि सीमा चिन्ह स्पष्ट नहीं होने के कारण दबा रखी है। प्रार्थी की कृषि भूमि दबाकर प्रार्थी के खेत में कटाणी रास्ते छोड़कर कुछ दूरी पर नया रास्ता अप्रार्थी गण संख्या 1 ता 35 ने कायम कर दिया है तथा अप्रार्थिनी संख्या 36 पुनी देवी प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 109 की आथूणी तरफ के खेत खसरा नम्बर 110 की खातेदार काबिज काश्तकार है जिन्होंने भी प्रार्थी के खेत की आथूणी सीमा दबा रखी है। अप्रार्थीगण खेत खसरा नम्बर 109 रोही चाड़वास की पूर्वी व पश्चिमी सीमा को लेकर हर वर्ष मौसम काश्त में सीमा, सीमाचिन्हों के बारे में विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी को मजबूर होकर पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने खेत खसरा नम्बर 109

उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर (चूरु)


रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा रोही ग्राम चाड़वास का तहसीलदार बीदासर के आदेशानुसार हलका पटवारी चाड़वास ने दिनांक 03.04.2015 सीमाज्ञान किया। तब प्रार्थी को पता चला कि अप्रार्थीगण नाजायज रूप से प्रार्थी के खेत में सीमाचिन्ह हटाकर कब्जा करना व प्रार्थी के खेत में नया रास्ता कायम करना चाहते हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 35 को कई मर्तबा समझाया लेकिन बाज नहीं आए। मना किया तो धमकिया देने लगे। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 109 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा पूर्वी जो उत्तर से दक्षिण लम्बाई तक एवं पश्चिमी सीमा जो उत्तर से दक्षिणी लम्बाई की दोनों सीवों पर नाप करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है, जो प्रार्थी को कानूनी अधिकार है। वादगत भूमि ग्राम चाड़वास की होने से श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है, आदि-आदि प्रार्थना पत्र पेश कर सीमा ज्ञान करवाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया। बावजूद विधिक तामील के कोई उपस्थित नहीं। जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

इस प्रकार के प्रार्थना पत्र की सुनवाई संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया से की जानी होती है, जिसके लिए प्रार्थी सहमत है।

पक्षकार के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादगत कृषि भूमि कि जमाबन्दी व एक्स का अवलोकन किया। साथ ही प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेत के बीच कोई पुख्ता सीव नहीं है और प्रार्थी के खेत की सीव पर लगाये गये झाड़ियों व अन्य पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया है एवं अप्रार्थीगण प्रार्थी से मौसम काश्त में अप्रार्थीगण सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं। साथ ही कथन किया कि प्रार्थी के खेत के चारों तरफ के पड़ोसियों को सुनवाई का अवसर दिया गया है व प्रार्थी के खेत के चारों तरफ पुख्ता बड़ी बड़ी सीवे कायम है। प्रार्थी के खातेदारी कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 109 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा रोही चाड़वास का नाप करवाया जाकर खेत की पश्चिमी व पूर्वी सीमा पर पत्थरगढ़ी करवाई जानी व प्रार्थी के खेत से चिपता पूर्वी तरफ का रास्ता खसरा नम्बर 141 को नापकर जहां वास्तविक रूप से स्थित है, वहां स्थित आवागमन हेतु किया जावे।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक परिशीलन किया। प्रस्तुत दस्तावेजात व जमाबंदी नक्शे से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी वादगत खेत खसरा नम्बर 109 का खातेदार काश्त कार है, जिनको सुरक्षा की दृष्टि से सीमाज्ञान करवाने, पत्थरगढ़ी करवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाना न्याय की दृष्टि से समुचित समझता हूं।


  
उपखण्ड अधिकार  
बीदासर (चूरु)



## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस कदर स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 109 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा वाके रोही चाड़वास का नाप करवाया जाकर खेत की पश्चिमी व पूर्वी सीमा पर पत्थरगढ़ी करवाई जावे व प्रार्थी के खेत से चिपता पूर्वी तरफ के रास्ता खसरा नम्बर 141 का नाप कर सुचारू किया जावे का सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढ़ी राजस्व शुल्क जमा कराने के बाद की जावे। तहसीलदार बीदासर को तहरीर जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

यह आदेश आज दिनांक 23.04.2018 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर (चूरु)

